

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर  
एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/2011	21.07.2011	07.04.2015
1. सरदार पुत्र लल्लू, रैवारी निवासी खेडावाढरामगढ तहसील गंगापुर सिटी		
2. लक्ष्मण पुत्र सुआ, रैवारी निवासी खेडावाढरामगढ तहसील गंगापुर सिटी		
3. भूरिया पत्नि सरदार, रैवारी निवासी खेडावाढरामगढ तहसील गंगापुर सिटी		
4. कगली पत्नि लक्ष्मण, रैवारी नि0 खेडावाढरामगढ तह0गंगापुरसिटी		—प्रार्थीगण

बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थित:— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से  
नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि साबिक ख0नं0 13 रकबा 21 बीघा 19 विस्वा खेडावाढरामगढ ग्राम में स्थित है। इसके भू-प्रबन्ध में नवीन नम्बर 295, 296, 298, 299, 299/487, 300, 301/486, 330/509, 331, 332, 333, 334, 335, 335/456, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343/510, 343/511 कायम किए गए हैं। हाल नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 300 रकबा 0.33 हैक्टर का अलग से कोई नम्बर कायम नहीं किया गया है जबकि ख0नं0 300 साबिक ख0नं0 13 मिन से ही बनाया है लेकिन नक्शा ट्रेस में ख0नं0 300, 299, 368 की नक्शा ट्रेसों को पृथक पृथक रूप से विभाजित नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस के देखने से यह भी पता नहीं चल पाता है कि ख0नं0 301/486 गैरमुमकिन नले की भूमि है या अन्य किसी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से ख0नं0 299, 300 एवं 368 तथा 301/486 के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा मौके की स्थिति के मुताबिक ख0नं0 300, 299 एवं 368 के नक्शा ट्रेस में जो कि हाल नक्शा ट्रेस में खाली छोड़ रखी है, पृथक पृथक नम्बर कायम किए जावें। अतः दरखास्त पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी रिपोर्ट मंगवाई जाकर हाल नक्शा ट्रेस में 300, 299 एवं 368 पृथक पृथक नम्बर डाले जावें तथा गैरमुमकिन नले में पृथक से खसरा नम्बर डाला जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया एवं रिपोर्ट मंगवाई गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064, नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068, फोटोकॉपी नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2027

से 2030, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल हाल नक्शा ट्रेस, नकल साबिक नक्शा ट्रेस पेश किए हैं।

अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि नायब तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 299, 300, 368 व 301/486 नक्शा ट्रेस में पृथक पृथक डोटेड लाइन से दर्शाए हुए हैं।

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रेस के अनुसार ख0नं0 299, 300, 368 डोटेड लाइन से पृथक पृथक दर्शाए हुए हैं एवं यह नक्शा ट्रेस पटवारी हलका के पास उपलब्ध नक्शा ट्रेस की छायाप्रति है। इस प्रकार प्रार्थीगण जो कार्यवाही चाहते हैं वह पूर्व से ही रिकार्ड में हो रही है फलस्वरूप प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकभील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( मुनिदेव यादव )  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (सं0मा0)  
गंगापुर सिटी